

भारत के नयित्त्रक एवं महालेखा परीक्षक

प्रलिस के लयि:

[नयित्त्रक एवं महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, भारत के राष्ट्रपति, भारत की संचति नधि, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊरजा एजेंसी.](#)

मेंस के लयि:

भारत के नयित्त्रक एवं महालेखा परीक्षक का महत्त्व, वत्तीय अखंडता और जवाबदेही ।

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

के. संजय मूर्ति को भारत का नया [नयित्त्रक एवं महालेखा परीक्षक \(CAG\)](#) नयुक्त कया गया है, वे गरिशि चंदर मुरमू की जगह लेंगे ।

नयित्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में मुख्य बढि क्या हैं?

- भारत के CAG के बारे में: संवधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार, भारत का CAG भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा वभिग (IA-AD) का प्रमुख होता है । वह सार्वजनिक नधिकी सुरक्षा और केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर वत्तीय प्रणाली की देखरेख के लयि ज़मिमेदार होता है ।
 - CAG वत्तीय प्रशासन में संवधान और संसदीय कानूनों को कायम रखता है और इसे [सर्वोच्च न्यायालय, नरिवाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग](#) के साथ भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है ।
 - भारत का CAG नयित्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तयिं और सेवा की शर्तें) अधनियम, 1971 द्वारा शासति होता है, जसिमें वर्ष 1976, 1984 और 1987 में महत्त्वपूर्ण संशोधन कयि गए ।
- नयुक्ति और कार्यकाल: भारत के CAG की नयुक्ति [भारत के राष्ट्रपति](#) द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहति एक अधिकार पत्र (Warrant) द्वारा की जाती है । CAG छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर कार्य करता है ।
 - CAG संवधान की रक्षा करने तथा बना कसिी भय या पक्षपात के नषिपक्षतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करने कीशपथ ग्रहण करता है ।
 - राष्ट्रपति द्वारा CAG को पद से केवल उसी रीति से और उन्ही आधारों पर हटाया जाएगा जसि रीति से और जनि आधारों पर [सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश](#) को हटाया जाता है ।, तथा इसके लयि सदिध दुरव्यवहार या अक्षमता हेतु संसद के दोनों सदनों में वशिष बहुमत प्रस्ताव की आवश्यकता होती है ।
 - CAG कसिी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं ।
- स्वतंत्रता: CAG को केवल संवधानिक प्रकरयि के तहत राष्ट्रपति द्वारा (न की राष्ट्रपति के वविक अधिकार पर) हटाया जा सकता है ।
 - पद छोड़ने के बाद CAG भारत सरकार या कसिी राज्य सरकार के अधीन कसिी भी अन्य पद के लयि पात्र नहीं हैं ।
 - CAG का वेतन संसद नरिधारति करती है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होते है ।
 - राष्ट्रपति, CAG के परामर्श से CAG के कर्मचारयिों के लयि सेवा शर्तें और प्रशासनिक शक्तयिं नरिधारति करता है ।
 - CAG के प्रशासनिक व्यय, जनिमें वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, [भारत की संचति नधि](#) पर भारति होते हैं, जो संसदीय मतदान के अधीन नहीं होते हैं ।
 - कोई भी मंत्री संसद में CAG का प्रतनिधितिव नहीं कर सकता या उसके कार्यों की ज़मिमेदारी नहीं ले सकता ।
- कर्तव्य एवं शक्तयिं: CAG भारत की संचति नधि और राज्य नधि से व्यय से संबंधति खातों का लेखा-परीक्षण करता है ।
 - यह सरकारी नगिमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरमों और सरकार द्वारा वतितपोषति नकियों के खातों का भी लेखा-परीक्षण करता है ।
 - CAG करों और शुल्कों की शुद्ध आय पर प्रमाणपत्र प्रदान करता है, तथा ऋण, अग्रमि और सस्पेंस खातों से संबंधति लेनदेन का ऑडिट करता है ।
 - CAG ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो उन्हें संसद के समक्ष रखता है । इन रिपोर्टों की जाँचलोक लेखा समति द्वारा की जाती है ।
- भूमिका: CAG संसद के एजेंट के रूप में कार्य करता है जो यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक वत्ति का उपयोग कानूनी और

कुशलतापूरवक कथिा जाए।

- यह समीक्षा करता है कवितरिती धनराशिकानूनी के अनुसार था और उसका सही ढंग से उपयोग कथिा गया था तथा व्यय शासकीय प्राधकिरण के अनुरूप है या नहीं।
 - CAG करदाताओं के धन की सुरक्षा करने तथा यह सुनिश्चित करने के लथि ज़मिमेदार है कउसका व्यय कानून के अनुसार तथा लक्षति उद्देश्यों के लथि कथिा जाए।
 - कानूनी और नथिामक लेखापरीक्षाओं के अतरिकित, **CAG औचितिय संबंधी लेखापरीक्षा भी कर सकता है**, अर्थात् वह सरकारी व्यय की बुद्धमित्ता, वशि्वसनीयता और मतिव्ययतिता का आकलन कर सकता है, साथ ही अपव्यय और फज़िलखर्चा पर टपिणी कर सकता है।
 - अनविार्य कानूनी और वनिथिामक ऑडिट के वपिरीत, स्वामतिव संबंधी ऑडिट वैकल्पकि हैं।
 - भारत में CAG का धन जारी करने पर नथित्रण नहीं है तथा वह केवल महालेखा परीक्षक की भूमकिा नथिताता है, जबकि बरटिन में CAG नथित्त्रक के रूप में भी कार्य करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षा:
- **IAEA (2022-2027): CAG अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी** का बाह्य लेखा परीक्षक है, जो परमाणु प्रौद्योगकिथिों के सुरक्षति उपयोग को बढ़ावा देता है।
 - **FAO (2020-2025): CAG वैश्वकि खाद्य सुरक्षा** की दशिा में काम करने वाले **खाद्य और कृषि संगठन** का ऑडिट करता है।

भारत के CAG के संबंध में संवैधानकि प्रावधान

प्रावधान	वविरण
अनुच्छेद 148	यह वधियक भारत के नथित्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की नथिुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधति है।
अनुच्छेद 149	भारत के नथित्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों एवं शक्तथिों को नरिदषिट करता है।
अनुच्छेद 150	इसमें कहा गया है क संघ और राज्यों के खातों को CAG की सलाह पर राष्ट्रपतिद्वारा नरिधारति प्रारूप में रखा जाना चाहथि।
अनुच्छेद 151	संघीय लेखाओं पर नथित्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रपिर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी तथा संसद के समक्ष रखी जाएगी; राज्य की रपिर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी तथा राज्य वधिानमंडल के समक्ष रखी जाएगी।
अनुच्छेद 279	इसमें प्रावधान है क CAG "शुद्ध आगम" की गणना को प्रमाणति करता है और उसका प्रमाणपत्र अंतमि होता है।
तीसरी अनुसूची	धारा IV में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और CAG द्वारा पद ग्रहण करने पर ली जाने वाली शपथ या प्रतजिज्ञान का प्रावधान है।
छठी अनुसूची	यह नरिदषिट करता है क जिला या क्षेत्रीय परिषदों के खातों को CAG द्वारा नरिधारति प्रारूप में रखा जाना चाहथि और तदनुसार उनका ऑडिट कथिा जाना चाहथि। परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने के लथि रपिर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जानी चाहथि।

CAG लोकतंत्र को कैसे मज़बूत करता है?

- **जवाबदेही सुनिश्चिति करना:** **भारत के लोकतांत्रकि ढांचे** के प्रमुख सदिधांत **जवाबदेही, नागरकि सहभागति और वकिेंद्रीकरण** हैं। जैसे-जैसे शासन अधकि जटलि होता जाता है, इन सदिधांतों को मज़बूत तंत्रों के माध्यम से बनाए रखा जाना चाहथि।
 - भारत का CAG सार्वजनकि धन के उपयोग में सरकार की जवाबदेही सुनिश्चिति करता है, **करदाताओं के धन के दुरुपयोग को रोकता है और नागरकिों के सर्वोत्तम हतिों में शासन को बढ़ावा देता है**, जो लोकतंत्र में आवश्यक है।
- **स्थानीय शासन को सुदृढ़ बनाना:** CAG क्षमता नरिमाण और मार्गदर्शन के माध्यम से **पंचायती राज संस्थाओं (PRI)** और **शहरी स्थानीय नकिायों** को सहायता प्रदान करता है।
 - **वार्षकि तकनीकी नरिीक्षण रपिर्ट (ATIR)** के माध्यम से, यह सेवा वतिरण में स्थानीय सरकार के प्रदर्शन का आकलन करता है। कुशल लेखाकारों की कमी को दूर करने के लथि, CAG, **भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI)** के सहयोग से ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है।
- **शक्तथिों के पृथक्करण की सुरक्षा:** लेखापरीक्षा यह सुनिश्चिति करती है क **कार्यपालकिा की वतितीय गतिविधिथिं वधिायी मंशा के अनुरूप हों**, तथा **शक्तथि संतुलन बना रहे**।
- **नागरकि-केंद्रति दृष्टिकोण:** नागरकिों को लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के केंद्र में रखकर, CAG यह सुनिश्चिति करता है क सरकारी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन लोगों की आकांक्षाओं को प्रतबिबिति करे।
 - नागरकि फीडबैक से CAG को उच्च ज़ोखमि वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलति है, जहाँ कुप्रबंधन हो सकता है, जिसे लेखापरीक्षा का फोकस और प्रभावशीलता में सुधार होता है।

CAG ने कौन से बड़े घोटाले उजागर किये हैं?

- भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के कई हाई-प्रोफाइल मामलों को उजागर करने में CAG की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।
 - 2G स्पेक्टरम आवंटन घोटाला:** CAG ने 1.76 लाख करोड़ रुपए के नुकसान को उजागर किया।
 - भारत के CAG की एक रिपोर्ट से पता चला है कि भारत सरकार ने स्वतंत्र और नष्पिपक्ष नीलामी को दरकिनार करते हुए **2G स्पेक्टरम लाइसेंसों** को काफी कम कीमत पर आवंटित किया।
 - कोयला खदान आवंटन घोटाला:** CAG ने 1.85 लाख करोड़ रुपए के गलत लाभ का अनुमान लगाया।
 - कोयला घोटाला, जिसे कोलगेट के नाम से जाना जाता है, वर्ष 2004 से वर्ष 2009 तक कोयला ब्लॉकों के अनियमित और संभावित रूप से अवैध आवंटन से संबंधित है, जिसमें सरकार के पास ऐसा करने का अधिकार होने के बावजूद प्रतिसिपर्द्धी बोली को दरकिनार कर दिया गया।
 - चारा घोटाला:** CAG ने 940 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से नकिसी का खुलासा किया।
 - चारा घोटाला, वर्ष 1985 से वर्ष 1995 के बीच बहिर के पशुपालन विभाग में हुई वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा था।

भारत में CAG की कार्यप्रणाली के संबंध में क्या आलोचनाएँ हैं?

- संसद में प्रस्तुत रिपोर्टों की संख्या में कमी:** संसद में CAG द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा रिपोर्टों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है, जो वर्ष 2015 में 53 से घटकर वर्ष 2023 में मात्र 18 रह गई है, जिससे सरकारी व्यय में नगिरानी और पारदर्शिता में कमी की चिंता उत्पन्न होती है, जिससे वित्तीय अनियमितताओं की पहचान में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
 - इसके अतिरिक्त, CAG कई फर्मों और सरकारी नकियों का प्रत्यक्ष रूप से ऑडिट करता है, लेकिन प्रत्येक वर्ष केवल कुछ ही मूल्यांकन करता है, जिससे कई ऑडिट लंबित रह जाते हैं।
- कार्योत्तर लेखापरीक्षा:** CAG का लेखापरीक्षा कार्य काफी हद तक कार्योत्तर होता है, जिसका अर्थ है कि लेखापरीक्षा सरकारी व्यय किये जाने के बाद होती है, न कि नरिणय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने के बाद।
 - इससे वित्तीय कुप्रबंधन या अनियमितताओं को घटित होने से पहले रोकने की CAG की क्षमता सीमित होती है।
 - CAG द्वारा वित्तीय लेन-देन का परीक्षण तो किया जाता है लेकिन सकरयि वित्तीय नगिरानी में इसका योगदान सीमित होता है।
- CAG के कार्य का सीमित महत्त्व:** लेखा परीक्षक प्रशासन पर नहीं बल्कि लेखापरीक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिससे उनका कार्य आवश्यक तो होता है लेकिन परपिरेक्ष्य और उपयोगिता में सीमित होता है। इसके अतिरिक्त बजट जारी करने से पहले पूर्व-लेखापरीक्षा में CAG की कोई भूमिका नहीं होती है।
- अपर्याप्त आर्थिक विशेषज्ञता:** आलोचकों का तर्क है कि CAG के पास पर्याप्त आर्थिक विशेषज्ञता का अभाव (विशेषकर प्राकृतिक संसाधनों जैसे जटलि क्षेत्रों का लेखा-परीक्षण करते समय) रहता है।
 - भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (IA&AD) में कर्मचारियों की संख्या में उल्लेखनीय कमी (जो वर्ष 2013-14 के 48,253 से घटकर वर्ष 2021-22 में 41,675 हो गई है) आई है। यह कमी CAG की ऑडिट करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, जिससे परीक्षण प्रणाली सीमित होने के साथ इसकी पारदर्शिता और जवाबदेहिता में बाधा आ सकती है।
- रिपोर्टिंग में देरी:** CAG को दस्तावेज प्रस्तुत करने और संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अक्सर देरी होती है, जिससे समय पर जवाबदेहि तय करने में बाधा उत्पन्न होती है।

CAG में कौन से सुधार आवश्यक हैं?

- CAG अधिनियम में संशोधन:** आधुनिक शासन आवश्यकताओं को प्रतबिबिति करने के साथ जवाबदेहिता में सुधार हेतु वर्ष 1971 के CAG अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिये।
- चयन प्रक्रिया:** CAG की नयिकृति के लिये राष्ट्रपति, भारत के मुख्य नयायाधीश, प्रधानमंत्री और वपिकष के नेता को शामिल करते हुए एक कॉलेजियम का गठन होना चाहिये।
 - यह दृष्टिकोण अधिक नष्पिपक्ष एवं वैध चयन प्रक्रिया सुनश्चिति करने के साथ नष्पिपक्षता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- नई चुनौतियों हेतु अनुकूलन:** CAG को जलवायु परिवर्तन एवं महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों जैसे नए क्षेत्रों की लेखापरीक्षा के क्रम में अनुकूलन करने की आवश्यकता है। इन उभरते क्षेत्रों में व्यापक नगिरानी तथा जवाबदेहिता सुनश्चिति करने के लिये यह अनुकूलन महत्त्वपूर्ण है।
- क्षमता निर्माण:** लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार (विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों, प्रौद्योगिकी और जटलि आर्थिक क्षेत्रों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में) हेतु CAG कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ इनकी क्षमता में वृद्धि करना चाहिये।
- फीडबैक तंत्र:** विभिन्न संस्थाओं की चिंताओं के साथ सुझावों पर ध्यान रखने हेतु मज़बूत फीडबैक तंत्र स्थापित करना चाहिये ताकि यह सुनश्चिति किया जा सके कि लेखापरीक्षा रचनात्मक एवं सुधारात्मक हो।

नष्पिपक्ष

CAG वित्तीय औचित्य का प्रहरी एवं लोकतांत्रिक जवाबदेहिता का संरक्षक है। हालाँकि इसने शासन को मज़बूत करने एवं भ्रष्टाचार को सामने लाने में काफी प्रगति की है लेकिन तीव्रता से विकसित हो रहे आर्थिक तथा राजनीतिक परदृश्य में इसकी प्रासंगिकता सुनश्चिति करने हेतु और भी सुधारों की गुंजाइश है। अपने अधिदेश को मज़बूत कर और अपने कार्यों को आधुनिक बनाकर, CAG भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

???????? ???? ???? ???? ????:

प्रश्न: सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही की सुरक्षा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका का परीक्षण कीजिये। संवैधानिक प्रावधान CAG को किस प्रकार सशक्त बनाते हैं?

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????????

प्र. लोक नधि के फलोत्पादक और आशायति प्रयोग को सुरक्षति करने के साथ-साथ भारत में नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (CAG) के कार्यालय का महत्त्व क्या है? (2012)

- 1- CAG संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात/वित्तीय आपात घोषित करता है।
- 2- मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वति परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर CAG द्वारा जारी किये गए प्रतविदनों पर लेखा समति विचार-वमिर्श करती है।
- 3- CAG के प्रतविदनों से मलि जानकारियों के आधार पर जाँचकर्त्ता एजेंसियाँ उन लोगों के वरिद्ध आरोप दाखलि कर सकती है जिन्होंने लोक नधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो।
- 4- CAG को ऐसी मशिरति न्यायकि शक्तियाँ प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लेखा-परीक्षा और लेखा जाँच करते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1, 3 और 4
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: c

????????:

प्रश्न. “नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका है।” समझाएँ कियेह उसकी नयुक्ति की पद्धति और शर्तों के साथ-साथ उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की सीमा में कैसे परलिक्षति होती है? (2018)

प्रश्न. संघ एवं राज्यों की लेखाओं के संबंध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग भारतीय संवधान के अनुच्छेद 149 से व्युत्पन्न है। चर्चा कीजिये किक्या सरकार की नीति कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा करना अपने स्वयं (नियंत्रक और महालेखापरीक्षक) की अधिकारति का अतिक्रमण करना होगा या नहीं।

(2016)